

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**संकल्प**

सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/1077/2018-.....1016...../राँची, दिनांक-07/08/19

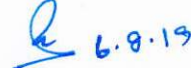
**विषय :** उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर "शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना" करने के संबंध में।

1. उत्तर कोयल परियोजना पलामू जिला के उत्तर कोयल नदी पर अवस्थित है। इस परियोजना का निर्माण 1970-80 के दशक में पूर्ववर्ती राज्य बिहार द्वारा प्रारम्भ की गयी।
2. वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य गठन के उपरान्त यह परियोजना बिहार एवं झारखण्ड राज्य की संयुक्त परियोजना हो गयी है।
3. इस परियोजना का मुख्य अवयव मंडल डैम, लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के ग्राम मंडल/कुटकु के निकट अवस्थित है। नदी के दाँया तट पर लातेहार जिला एवं बाँया तट पर गढ़वा जिला पड़ता है।
4. मंडल डैम के निर्माण से पलामू के वीर शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर भाईयों की जन्म स्थली ग्राम सनैया जलमग्न हो जायेगी।
5. ज्ञातव्य है कि सन 1857 ई० के सिपाही विद्रोह, जो समस्त भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र आंदोलन चला था, पलामू में भी यह आन्दोलन वीर शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर के नेतृत्व में चलाई गयी थी। इस आन्दोलन में बहुत से जमींदार एवं उनके अनुयायी नीलाम्बर-पीताम्बर के नेतृत्व में अंग्रेजों से लोहा लिये थे। इनकी वीरता कि चर्चा काफी मशहूर थी। छापामार युद्ध में ये दोनों भाई निपुण थे। अंग्रेज अफसर एवं सैनिक इनके नाम से काँपते थे। अंग्रेजों के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर नीलाम्बर-पीताम्बर को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाये ही 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। झारखण्ड व पलामूवासी इन शहीदों का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। उस वृक्ष और गुफा की पूजा आज तक लोग करते हैं, जहाँ पर दोनों वीर सपूतों ने दम तोड़ा था।

6. इस परियोजना का नाम बदलकर "शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना" रखे जाने से इस क्षेत्र के आदिवासियों तथा अमर शहीदों का सम्मान होगा।
7. उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर "शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना" करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-26.02.2019 में मद संख्या-18 के रूप में प्रदान की गयी है।
8. मंत्रिपरिषद् झारखण्ड के स्वीकृति के उपरान्त उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदल कर "शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना" किया जाता है।
9. इसे तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

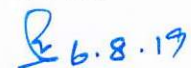
सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/1077/2018-1016/राँची, दिनांक-07.08.19

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के अपर मुख्य सचिव को मैनुअल की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

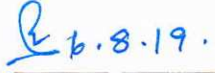
  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/1077/2018-1016/राँची, दिनांक-07.08.19

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं उनके स्तर से अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु कृपया समर्पित।

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/1077/2018-1016/राँची, दिनांक-07.08.19  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/1077/2018-1016/राँची, दिनांक-07.08.19  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
2. अनुरोध है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए उनकी 100 प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/1077/2018-1016/राँची, दिनांक-07.08.19  
प्रतिलिपि:-वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।